



2026:AHC:12706

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30258/2025

जितेंद्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

ए.जेड. खान, फरीद अहमद, विवेक सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बिजेंद्र त्रिपाठी की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक **जितेंद्र** की ओर से दायर की गई है, जिसमें केस संख्या 310/2025 के तहत धारा 109, 317 (2), 317 (4), 317 (5), बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27, पुलिस स्टेशन, सेक्टर-24, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 22.07.2025 से जेल में बंद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.07.2025 को दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि घटना की तारीख को पुलिस दल वाहनों की जांच कर रहा था। पुलिस दल ने आवेदक को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आवेदक ने पुलिस दल पर गोली चलाई। सूचना देने वाले और अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और आवेदक को गिरफ्तार कर लिया। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि यह कोई चोट का मामला नहीं है क्योंकि किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है। बरामद की गई एक 315 बोर की देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस कथित तौर पर प्लांट किए गए हैं। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक पिछले पांच महीनों से अधिक समय से जेल में है। उपरोक्त बरामदगी का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। 17 मामलों का आपराधिक इतिहास उचित रूप से स्पष्ट किया गया है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत के लिए निवेदन किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उनका खंडन नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में अभियुक्त-आवेदक **जितेंद्र** को, अपराध संख्या निजी मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, प्रत्येक समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

19 जनवरी, 2026

दीपक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।